समय सीमा समीक्षा बैठक दिनांक 22.10.2018 का कार्यवाही विवरण।

आज दिनांक 22.10.2018 को समय सीमा बैठक श्रीमति छवि भारद्वाज, कलेक्टर जबलपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमति हर्षिका सिंह, अपर कलेक्टर श्री रोहित सिंह, श्री व्ही.पी.द्विवेदी एवं आयुक्त नगर निगम श्री चंद्रमौली शुक्ला , नगरीय एस.डी.एम. तथा विभाग जिला प्रमुख उपस्थित रहे।

1. **आदर्श आचार संहिता :–** पूर्व बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जबलपुर जिले में सर्वाधिक संख्या– दिव्यांग वोटर की है। उनको सुगम माहौल उपलब्ध कराना है। बूथों में (20128 बूथ) दिव्यांग व्यक्ति के लिए एक वालंटियर नियुक्त किया जा रहा है। व्यक्तियों को वाटिंग करायेगा जो किसी भी पार्टी से संबंध न रखता हो। जहां अधिक संख्या में दृष्टिहीन वोटर हैं। ब्रेल में वोट तैयार कराये जा रहे हैं। रैम्प तथा व्हील चेयर की व्यवस्था भी की जा रही है। कण्ट्रोल रूम– कलेक्ट्रेट स्थित आयुष भवन में कण्ट्रोल रूम बना है। जो 24 घण्टे खुला है। टोल फ्री नंबर और दूरभाष नंबरों पर कोई भी नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की जानकारी या शिकायत दे सकेगा। कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर 18002330023 है। दूरभाष नंबर –0761–2628002/2628003/2628004/2628005 पर भी जानकारी दी जा सकती है। कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारी प्राप्त शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज करेंगे। उसे संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आर.ओ. को भेजेंगे। इसके अलावा 0761–2625799 पर भी चुनाव संबंधित शिकायतें की जा सकती है।
   पोस्टल वेलेट– सभी को पुनः निर्देश दिए गए कि फार्म 12 निर्वाचन कार्यालय से उठाए जाकर फॉर्म 12 भरकर अपने आर.ओ./ए.आर.ओ. व जेड.ओ. के पास जमा कराएं। सारे जिला अधिकारी सुनिश्चित करा लें। यदि जारी होने में विलंब होता है, तो नोटिस जारी होगा। 15 नवम्बर से पोस्टल वेलट प्रेषित किया प्रारंभ होगा। लगभग 10 दिन का समय और है। जो निर्वाचन ड्यूटी में लगे हैं ऐसे कर्मचारी /अधिकारी के कम से कम 90 प्रतिशत पोस्टल वेलेट जारी करना है। अगली टी.एल. में कितने जमा हुए इसकी विस्तृत समीक्षा होगी।

2. **हाई कार्ट के प्रकरण (रिटपीटीशन एवं अवमानना):–** लीगल सेल शाखा से प्राप्त सूची अनुसार विभागवार समीक्षा की गई। जिसमें जवाबदावा हेतु शेष प्रकरणों की स्थिति विभागवार निम्नानुसार है:–
   कृषि विभाग–08, केन्द्रीय जेल–02, वाणिज्य कर विभाग–02, सहकारिता विभाग–46, पंजीयन विभाग–04, शिक्षा विभाग–62, आबकारी विभाग उपायुक्त–16, खाद्य विभाग–18, वन विभाग–34, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग–50, जल संसाधन विभाग–88, श्रम विभाग–06, नर्मदा घाटी विकास, रा.अ.बा.लो. सागर परियोजना बरगी हिल्स जबलपुर–46, खनिज विभाग–156, आयुक्त नगर निगम–02,लोक निर्माण विभाग–57, जिला पंचायत–493, पुलिस विभाग–274, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग–02, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग–01, सामाजिक न्याय विभाग–01, परिवहन विभाग–01, वित्त विभाग–09, आदिवासी विकास–11, नगरीय कल्याण–129, पशुपालन विभाग–06, महिला एवं बाल विकास–01 प्रकरण है।

राजस्व विभाग कीः–
एस.डी.एम. गोहलपुर–05, एस.डी.एम. कोतवाली–07, एस.डी.एम.ओमती–03, एस.डी.एम. गोरखपुर–23, एस.डी.एम. रांझी–07, एस.डी.एम. जबलपुर–32, एस.डी.एम. कुण्डम–01, एस.डी. एम. सिहोरा–18, एस.डी.एम.पाटन–37, तहसीलदार गोहलपुर–33, तहसीलदार कोतवाली–54, तहसीलदार ओमती–54, तहसीलदार गोरखपुर–1–184, तहसीलदार गोरखपुर–2–37, तहसीलदार केन्ट–13, तहसीलदार रांझी–23, तहसीलदार जबलपुर–73, तहसीलदार कुण्डम–06, तहसीलदार पनागर–59, तहसीलदार सिहोरा–27, तहसीलदार मंझौली–48, तहसीलदार पाटन–95, तहसीलदार शहपुरा–74 तहसीलदार बरगी–04 प्रकरण, अधीक्षक भू–अभिलेख–12, प्रभारी अधिकारी मीसा बंदी–01, प्रभारी अधिकारी दंगा पीड़ित–02, प्रभारी अधिकारी बैंक वसूली शााखा–07, प्रभारी अधिकारी शस्त्र शाखा–46, प्रभारी अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सैनानी–22, प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा–08, प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख–10, प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ लिपिक शाखा–12 प्रकरण हैं। विशेषतः राजस्व एवं शिक्षा विभाग के प्रकरण अधिक लंबित है।

विभागीय जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि उक्त सूची की जानकारी से भिन्नता है, तो लीगल सेल कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक–65 में संपर्क कर जानकारी अद्यतन कराएं। अगली टी.एल. में विस्तृत रूप से समीक्षा की जाएगी।

3. **पेंशन प्रकरण :–** पूर्व बैठक में निर्देश दिए गए थे कि राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनजातीय विभाग में सबसे ज्यादा पेंडेंसी है, कहा गया कि सभी अपने विभाग के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके पेंशन प्रकरणों में संवेदनशीलता दिखलाते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी का प्रकरण छः माह पहले से तैयार कर कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। इसे सूचीबद्ध किया जाकर नियमानुसार पेंशन संबंधित सभी कार्यवाही अपडेट कर ली जाए। जिससे की उन्हें सेवा निवृत्ति के दिन पेंशन प्राधिकार पत्र मिल सके।

पेंशन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। गृह विभाग–05, राजस्व विभाग–01, वित्त विभाग–01, विधि विधायी विभाग–01, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–04, स्कूल शिक्षा–12, उच्च शिक्षा–02, तकनीकि शिक्षा–02, नर्मदा विकास विभाग–05, चिकित्सा विभाग–03, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य संस्थान विभाग–01, गामीण यांत्रिकी सेवा–01, कौशल विकास विभाग–01, लोक निर्माण विभाग–04 व जेल विभाग–02 प्रकरण शेष हैं।

सभी विभाग इस बात को नोट करें कि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रकरणों की जानकारी नियत प्रारूप में टी.ओ. को उपलब्ध कराएं। सभी विभाग अधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रयास करें। 02–03 माह तक पेंशन प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। अपने विभाग के लंबित पेंशन प्रकरण में प्रत्येक प्रकरण को शामिल कर एक संक्षिप्त जानकारी बनाकर कलेक्टर के समक्ष रखें।

4. **नर्मदा महोत्सवः–** नर्मदा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति दिनांक 23 व 24 अक्टूबर को मनाया जाना है। सभी जिला अधिकारियों व उनके अधीनस्थ स्टाफ की सपरिवार

उपस्थिति की अपेक्षा की गई, विगत बैठक में सी.ई.ओ. जिला पंचायत एवं सी.ई.ओ. जे.टी.पी. सी. द्वारा कार्यक्रम के विवरण की जानकारी दी गई है।

5. **द मार्बल रॉक रन** – पूर्व बैठक में नगर निगम आयुक्त द्वारा द मार्बल रॉक रन 2018– दिनांक 28 अक्टूबर के आयोजन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। नगर निगम द्वारा सभी को अवगत कराया गया कि पंजीयन का लक्ष्य 10,000 रखा गया है। राइट टाउन स्टेडियम से मैराथन की शुरूआत एवं समाप्ति नियत की गई है। सभी विभागों से अपेक्षा है कि अधिक से अधिक पंजीयन करायें। On line पंजीयन के लिए– http:// themarblerockrun.com बेवसाइट नियत है। ये स्वीप गतिविधि के अंतर्गत एक वृहद प्रयास है। संबंधित जानकारी हेतु दूरभाष 7611136800 एवं 7489995111 पर श्री रवि राव स्मार्ट सिटी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। अभी तक 15 से 20 प्रतिशत ही पंजीयन हुआ है जो कि खेदजनक है। सभी पंजीयन अनिवार्य रूप से कराएं। दौड़ना अनिवार्य नहीं है। वॉक करके 5 कि.मी. की दूरी पार करना है क्योंकि इसका उद्देश्य मतदाता जागरूकता से है। यह प्रगतिपूर्ण गतिविधि है। रविवार को इसका आयोजन है। अतः अधिक से अधिक पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। सारे स्कूल कॉलेज से समन्वय कर सामूहिक पंजीयन कराए जाएं। प्रबंधक लीड बैंक से अपेक्षा है कि इस मैरॉथन में बैंकों का भाग लेना सुनिश्चित कराएं।

6. **टी.एल. प्रश्न** :– समय सीमा के प्रश्नों की विभागवार समीक्षा अगली टी.एल. में की जाएगी। पूर्व में निर्देश दिए गए कि ऐसी शिकायतों पर गंभीरता दिखाई जाकर समय सीमा 07 दिवस में निराकरण किया जाये। टी.एल. प्रश्न में व्यक्तिगत रूचि लेकर प्राथमिकता के आधार पर जिला अधिकारी निराकरण कराएं। समय सीमा के प्रश्नों का निराकरण होने पर सर्वसंबंधित अधिकारी कलेक्टर के समक्ष नस्ती/प्रतिवेदन प्रस्तुत करें किन्तु सभी अधिकारियों द्वारा नस्ती प्रस्तुत नहीं की जा रही है। तत्संबंध में जिला अधिकारियों को पुनः निर्देश दिए गए कि जितने भी टी.एल. प्रश्न हैं। उनका संक्षेप बनाया जाकर स्टेनो कक्ष कमांक–04 में प्रस्तुत करें।

उक्त निर्देशों के साथ मीटिंग सधन्यवाद समाप्त की गई।

कलेक्टर,
जबलपुर

पृ.क्र/9506/अधीक्षक/टी.एल/2018 जबलपुर दिनांक 23 अक्टूबर 2018.

प्रतिलिपि :–

1. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर।
2. जिले के समस्त विभाग प्रमुख को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,
जबलपुर